MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY ROHTAK

(A State University established under Haryana Act No. 25 of 1975)
NAAC accredited 'A+' Grade

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय , रोहतक में हरे /सूखे / गिरे हंए नीलगिरी के वृक्षों (लगभग 13675 नग) की नीलामी दिनांक 01.08.2019 को 11.30 बजे सुबह समिति व इच्छुक पार्टियो की उपस्थिति में उच्चतम कीमत व "जहाँ है जैसे है" के आधार पर होगी जिनका ब्यौरा व नीलामी की शर्तें आदि कार्यकारी अभियन्ता /उपमण्डल अधिकारी (बागवानी–2), महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस या विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.mdurohtak.ac.in पर देखी जा सकती है। बोलीदाता को अपनी बोली अग्रिम राशि (कार्यकारी अभियंता, म०द०वि०, रोहतक के नाम बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में) के साथ मोहरबन्द लिफाफे में दिनांक 01.08.2019 सुबह 11.00 बजे तक कार्यकारी अभियन्ता के कार्यालय में रखी ताला बन्द पेटी में ड़ालनी होगी जिसे उसी दिन सुबह 11.30 बजे समिति व इच्छुक पार्टियो की उपस्थिति में खोला जायेगा।

कुलसचिव

Endst. No. EE/2019/ 2658-2692. Dated: 9-7-19

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Superintending Engineer, PWD B&R Circles, Rohtak
2. Technical Advisor to VC, MDU, Rohtak
3. Executive Engineer(C-II), MDU, Rohtak
4. Executive Engineer, PWD B&R (Medical College), Rohtak / KUK / HAU. Hisar / GJU, Hisar/ CDLU, Sirsa / BPS Women University, Khanpur/ DBSCRU, Murthal/Indira Gandhi University, Meerpur(Rewari)/Ch. Bansilal University, Bhiwani/Chaudhary Ranbir Singh University, Jind.
5. P.A. to Vice-Chancellor(for kind information of the worthy Vice-Chancellor), M. D. University, Rohtak
6. P.A. to Registrar (for kind information of Registrar), MDU, Rohtak
7. SDE(Civil, II, III) / SDE (Elect) / SDE (PH) / SDE (Horti.-I, II), MDU, Rohtak
8. Divisional Accountant / D.M., Engineering Cell, MDU, Rohtak
9. Notice Board
10. Contractor/Agency/Society:_____

Executive Engineer

हरे /सूखे / गिरे नीलगिरी के पेड़ (लगभग 13675 नग) की निलामी "जहाँ है जैसे है" के आधार पर महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक में होगी।

काम के लिए मापदंड :–

I. नीलगिरी के पेड़ महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक कैंपस में "जहाँ है जैसे है" के आधार पर पर बेचे जाएंगे।

II. पेड़ों की संख्या लगभग 13675 है। हालाँकि, यह कार्य–स्थल पर वास्तविक/वर्तमान स्थिति के अनुसार बढ़ या घट सकता है। कार्य–स्थल का कुल क्षेत्रफल 2138 फुट X 1450 फुट = 3100100 वर्ग फुट या 287999 वर्गमीटर है। (लगभग)

III. एजेंसी पेड़ों को काटने के साथ–साथ पेड़ों की जड़ो को जमीन से पूर्णतः निकालने के लिए जिम्मेदार होगी।

IV. पेड़ों की लोडिंग, अनलोडिंग और कार्टेज का खर्च एजेंसी द्वारा ही वहन करना होगा।

V. खाइयों को भरने और समतल करने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।

VI. उस क्षेत्र के खामियों /क्षतिग्रस्त /गिरे हुए पेड़ों को एजेंसी द्वारा हटाया जाना होगा।

VII. विश्वविद्यालय को सौंपने से पहले एजेंसी पेड़ों के क्षेत्र को साफ करेगी और उसका समतल बनाएगी।

सामान्य नियम और शर्तें: –

1. इस नीलामी का आधार मूल्य 01 करोड़ 15 लाख रुपये है। हालांकि, निविदा में उच्चतम बोली एजेंसी को कार्य आवंटित किया जाएगा।

2. बोलीदाता को अपनी बोली की दरे "जहाँ है जैसे है" के आधार पर देखकर बन्द लिफाफे में उसी दिन सुबह 11.00 बजे तक कार्यकारी अभियन्ता के कार्यालय में उप–समिति की उपस्थिति में देनी होगी जिसे उप–समिति तथा बोलीदाता की उपस्थिति में सुबह 11.30 बजे कार्यकारी अभियन्ता के कार्यालय में खोला जायेंगा।

3. कार्य पूरा करने का समय चार महीने होगा।

4. कार्य के आवंटन के बाद एजेंसी 20 दिनों के भीतर प्रदर्शन /निष्पादन सुरक्षा के रूप में बोली राशि का 5% जमा करेगी। यह प्रदर्शन सुरक्षा किसी भी निर्धारित बैंक से कार्यकारी अभियंता, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के नाम से जारी बैंक गारंटी के संदर्भ में हो सकती है। यह प्रदर्शन/निष्पादन सुरक्षा साईट को महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक को सौंपने व कार्य पूरा होने के एक महीने के बाद वापिस किया जाएगा ।

5. प्रदर्शन /निष्पादन सुरक्षा जमा करने के बाद एजेंसी की मांग पर अग्रिम राशि वापिस कर दी जायेगी।

6. निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार काम के भुगतान के बाद एजेंसी द्वारा भुगतान जमा किया जाएगा: –

   i. काम शुरू होने से 10 दिनों के भीतर 25% बोली स्वीकृत राशि जमा की जाएगी अन्यथा किसी भी लॉग / लकड़ी को परिसर से बाहर निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

   ii. इसके बाद, एजेंसी परिसर से बाहर ले गए वास्तविक लॉग / लकड़ी के आकलन के आधार पर साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से अग्रिम राशि जमा करेगी। तदनुसार जंगल/लकड़ियों को बाहर निकालने के लिए गेट पास जारी किया जाएगा।

   iii. हालांकि, काम के बोली स्वीकृत के बाद कुल राशि तीन महीने के भीतर जमा करनी होगी।

7. भुगतान ऑनलाइन या डीडी के माध्यम से वित्त अधिकारी, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के पक्ष में स्वीकार किए जाएंगे।

8. यदि बोलीदाता अथवा कोई मजदूर इस बोली की सारी प्रक्रिया के दौरान विश्वविद्यालय की किसी सम्पति को कोई नुकसान पहुँचाता है तो उसकी पूर्ण भरपाई जो महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक उचित समझे निविदाकर्त्ता को करनी होगी।

9. यदि कोई अतिरिक्त पेड़/पौधे एजेंसी द्वारा काटे गए पाए जाते हैं, तो एफआईआर दर्ज करने जैसी सख्त कार्रवाई, सुरक्षा राशी जब्त करने के अधिकार, आदि एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

10. एजेंसी को केंद्र/राज्य सरकार के अनुसार सभी श्रम कानूनों /नियम का पालन करना होगा।

11. कैंपस से लॉग / लकड़ी निकालने के लिए सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक गेट पास जारी किया जाएगा।

12. यदि परिसर से लकड़ी निकालने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन में लकड़ी को छोड़कर कोई भी विश्वविद्यालय सामग्री पाई जाती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और विश्वविद्यालय द्वारा एजेंसी को दंडित किया जाएगा।

13. पेड़ों की संख्या अस्थायी है और एजेंसी निविदा से पहले अपनी लागत पर साइट का सर्वेक्षण कर सकती है। पेड़ों के क्षेत्रफल का स्थान निम्नानुसार है:–

(i) उत्तर पर – गर्ल्स हॉस्टल कॉम्प्लेक्स

(ii) दक्षिण में – खुले बरसाती पानी का नाला

iii) पूर्व में – महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक परिसर की बंजर भूमि जहां एच०टी० लाइन के लिए टॉवर मौजूद है।

iv) पश्चिम में – खुली प्राकृतिक पानी की टंकियों के पास बंजर भूमि

हालाँकि, एजेंसी साइट सर्वेक्षण के लिए बलजीत सिंह, एस०डी०ई० (बागवानी) से फोन नंबर 9466709893 पर चर्चा कर सकती है।

14. यदि एजेंसी को बिजली, कि आवश्यकता हो, तो विश्वविद्यालय द्वारा पास के क्षेत्र से एमडीयू में प्रचलित वाणिज्यिक दरों पर प्रदान की जा सकती है। हालांकि, बिजली के कनेक्शन के लिए तार की व्यवस्था एजेंसी को अपने आप करनी होगी।

15. कार्य का निष्पादन विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की देख रेख में होगा।

16. निविदा को स्वीकृति करने का अधिकार इस उद्देश्य के लिए गठित समिति के पास होगा और समिति कोई कारण बताए बिना उद्धरण /निविदा के किसी भी या सभी मदों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। समिति को उच्चतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते है। समिति भाग या पूरे में किसी भी वस्तु या किसी भी मात्रा या किसी भी क्षेत्र के उद्धरण / निविदा को स्वीकार करने और बाकी के लिए इसे अस्वीकार करने या दोनो को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

17. यदि अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय एजेंसी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय 15 दिनों का नोटिस

देकर अपनी ओर से किसी भी दायित्व के बिना अनुबंध को समाप्त करने की स्वतंत्रता होगा।

18. किसी भी चूक /उपेक्षा /कार्रवाई, मांग, कार्यवाही, मुकदमों संलग्नक, करों का भुगतान न करने, देनदारियों की गैर–निकासी, के कारण क्षतिपूर्ति / क्षतिपूर्ति स्थानीय निकायों / राज्य / केंद्र सरकारों के वैधानिक कानूनों/ नियमों का पालन न करना और इसके कर्मचारियों की गलती और /या कमी/लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाली क्षतिपूर्ति एजेंसी द्वारा महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक को की जायेगी।

19. एजेंसी द्वारा लगे हुए कामगारों को दिये जाने वाले भुगतान के लिए के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा । एजेंसी कामगारों की सभी सुरक्षा सावधानियों को सुनिश्चित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की उसके कामगार पूरी सावधानी के साथ अपना कार्य कर रहे है किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना की जिम्मेवारी स्वयं बोलीदाता की होगी। विश्वविद्यालय का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा।

20. विश्वविद्यालय किसी भी इकाई के लिए एजेंसी द्वारा किए गए किसी भी वित्तीय, न्यायिक और /या प्रशासनिक प्रतिबद्धताओं का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

21. यदि कोई विवाद होगा तो केवल रोहतक में अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। उद्धरण /निविदा या चालान या किसी अन्य दस्तावेज में उल्लिखित किसी अन्य क्षेत्राधिकार में कोई कानूनी पवित्रता नहीं होगी।

22. अनुबंध के किसी भी पहलू के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को ठेकेदार और विश्वविद्यालय के बीच आपसी परामर्श और समझौते के माध्यम से सुलझाया जाएगा। यदि मामला निपटारा नहीं हुआ है, तो विवाद भारतीय न्याय अधिनियम 1966 के दायरे में आ जाएगा और क्षेत्राधिकार रोहतक होगा।

23. समझौते का संशोधन: –
एजेंसी और एमडीयू के दायित्वों को इस समझोता ज्ञापन उल्लेखित कर दिया गया है। हालांकि, समझौते के संचालन के दौरान, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो इस समझौते के नियमों और शर्तों में संशोधन या संशोधन के लिए कह सकती हैं। ऐसी स्थिति में, संशोधनों / रूपान्तरो के रूप में परस्पर सहमति हो सकती है इस समझौते में शामिल किया जाएगा।

24. यदि इस समझौते के किसी प्रावधान /प्रावधानो के अर्थ और प्रभाव के अनुसार कोई संदेह या अस्पष्टता उत्पन्न होती है, तो स्पष्टीकरण के लिए कुलपति, एमडीयू, रोहतक को संदर्भित किया जाएगा। कुलपति द्वारा प्रदान किया गया स्पष्टीकरण दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा

25. अन्य शर्ते यदि कोई होगी तो उसकी घोषणा बोली के समय मौकें पर कर दी जाएगी और कार्य के दोरान यदि कोई नियम व शर्ते होगी तो आपसी सहमति से लागू की जायेगी।

26. किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी। विश्वविद्यालय का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा।

27. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रूपये 2,30,000/-, (दो लाख तीस हजार रूपये) अग्रिम राशि के रूप में कार्यकारी अभियन्ता, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के नाम बैंक ड्राफ्ट मोहरबन्द लिफाफे में बोली के साथ ड़ालना होगा।

28. अग्रिम राशि सिवाए उस व्यक्ति की जिसकी बोली स्वीकार कर ली जाती हैं, तुरन्त वापिस लौटा दी जायेगी। जिसकी बोली स्वीकार कर ली जाती हैं उसकी अग्रिम राशि काम पूरा होने व उपमंडल अभियन्ता (बागवानी–2) से संतोषजनक प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर लौटा दी जायेगी।

29. निविदाकर्त्ता यदि किसी अन्य (निषान के अलावा) पेड़ को कटवाता पकड़ा गया तो उसके विरूद्ध हरियाणा वन सरंक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कराने के साथ–साथ निविदा को भी तुरन्त रद्द कर दिया जाएगा तथा उसका सारा सामान और जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।

30. नियमों के मुताबिक 2% टीडीएस बोलीदाता को अलग से देना होंगा।

31. बोलीदाता को पैन कार्ड, जीएसटी पंजीकरण संख्या और आधार कार्ड की प्रतियां बोली के साथ समिति की उपस्थिति में जमा करवानी अनिवार्य है।